समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

**द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर**
**जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17**
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

**क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2025–26 / Care Attendant/** **दिनांक : यथा हस्ताक्षर**

# दिशा–निर्देश
# (सत्र 2025–26)

## केयर अटेंडेट (Care Attendant)

बजट घोषणा 2024–25 में समग्र शिक्षा में समावेशी शिक्षा अन्तर्गत वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा आईडी संख्या 162301433 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में ऐसे विद्यालय जहाँ 10 या 10 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी (CwSN) अध्ययनरत है। उन संबंधित विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी (CwSN) की विद्यालय समय में देखभाल एवं दैनिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक गतिविधि, संबंलन के संपादन हेतु केयर अटेंडेट (Care Attendant) लगाया जाना है। केयर अटेंडेट (Care Attendant) को ₹ **5590 /–**प्रति माह की दर से कुल 10 माह के लिए देय होगा।

1. जिलेवार केयर अटेडेट (Care Attendant) की संख्या :– संलग्न

2. **केयर अटेंडेट (Care Attendant) की प्रक्रिया :–**

जिस विद्यालय में केयर अटेंडेट (Care Attendant) को लगाया जाना है। उस विद्यालय के पीईईओ / यूसीईईओ की अध्यक्षता में निम्न कमेटी द्वारा प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। उक्त कार्य हेतु निम्नांकित कमेटी का गठन किया जाना है :–

1. पीईईओ / यूसीईईओ – अध्यक्ष
2. SDMC सचिव – सदस्य
3. संदर्भ व्यक्ति (CwSN) / विशेष शिक्षक – सदस्य
4. SDMC/SMC के सक्रिय दो सदस्य – सदस्य

**नोट :–** ब्लॉक में संदर्भ व्यक्ति (CwSN) का पद रिक्त होने की स्थिति में ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा नामित विशेष शिक्षक सदस्य होगा। उक्त कमेटी मे CwSN विद्यार्थी के जागरूक / सक्रिय अभिभावक को प्राथमिकता देवें।

**योग्यता :–**

1. **उम्र :–** आवेदक की उम्र लगाये जाने के समय 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. **शैक्षणिक योग्यता :–** न्यूनतम 10+2 (उच्च योग्यताधारी को प्राथमिकता)



RajKaj Ref No.: 16125643

3. **प्रशैक्षणिक योग्यता :—** विशेष शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री/केयर टेकर में डिप्लोमा/फाउण्डेशन पाठ्यक्रम धारक/अरली इन्टरवेंशन पाठ्यक्रम योग्यताधारी जो भारतीय पुनर्वास परिषद्, (RCI) नई दिल्ली में पंजीकृत को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
4. **प्राथमिकता (रहवास)** :—प्राथमिकता के आधार प्रथम स्थान पर स्थानीय ग्राम पंचायत को, द्वितीय समीप की ग्राम पंचायत, तृतीय ब्लॉक के एवं चतुर्थ जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

**अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :—**

- भारतीय पुनर्वास परिषद्, (RCI) नई दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में उच्च शैक्षिक योग्यताधारी/अनुभवी को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

**जॉब चार्ट :—**

- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) विद्यालय के CwSN बालक—बालिकाओं की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) विद्यालय के CwSN बालक—बालिकाओं को सह—पाठ्यक्रम गतिविधि में भाग लेने में सहयोग करेंगे।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) विद्यालय के CwSN बालक—बालिकाओं को घर से विद्यालय व विद्यालय से घर आने—जाने में अपेक्षित सहयोग करेंगे।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) विद्यालय के CwSN बालक—बालिकाओं को मिड—डे मिल सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे CwSN बालक—बालिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) विद्यालय में CwSN विद्यार्थियों का ठहराव में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आस—पास में CwSN बच्चें है तो उन्हें विद्यालय से जोड़ने का कार्य करेंगे।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) कक्षा अध्यापक एवं विषय अध्यापक से संपर्क स्थापित कर बच्चों के शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेंगे।
- ✓ संदर्भ व्यक्ति (CwSN) एवं विशेष शिक्षक द्वारा उस विद्यालय के CwSN बालक—बालिकाओं को संबंलन दिये जाने के समय केयर अटेंडेट (Care Attendant) द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) अपने विद्यालय के CwSN विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार ब्लॉक में संचालित संदर्भ कक्ष पर संबंलन हेतु CwSN विद्यार्थियों को संदर्भ कक्ष पर भिजवाने में सहयोग प्रदान करेंगे।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) अपने विद्यालय के CwSN विद्यार्थियों की चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय समय में पूर्ण देखभाल करेंगे।
- ✓ समावेशी शिक्षा द्वारा आयोजित ब्लॉक एवं जिला स्तरीय गतिविधियों में केयर अटेंडेट (Care Attendant) अपने विद्यालय के CwSN विद्यार्थियों की भागीदारी में सहयोग प्रदान करेंगे।



RajKaj Ref No.: 16125643

- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) अपने विद्यालय के CwSN विद्यार्थियों के समस्त भत्तों के आवदेन पत्र भरने के समय सहयोग प्रदान करेंगे।

**<u>केयर अटेंडेट (Care Attendant) मानदेय :–</u>**

- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) को ₹ **5590**/–प्रति माह की दर से कुल 10 माह के लिए देय होगा। जिसका भुगतान संबंधित विद्यालय की SMC/SDMC द्वारा किया जायेगा।

**<u>SMC/SDMC के दायित्व :–</u>**

- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) के निर्धारित जॉब चार्ट की पूर्णतया पालना सुनिश्चित करवाना।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) का मासिक मानदेय का भुगतान समय पर करवाना।
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) को CwSN विद्यार्थियों के कार्य के **अतिरिक्त अन्य कार्य/प्रभार से पूर्णतया मुक्त रखा जाये।**
- ✓ केयर अटेंडेट (Care Attendant) को प्रतिमाह एक अवकाश देय होगा।

**<u>मॉनिटरिंग :–</u>**

- ✓ सीबीईओ द्वारा केयर अटेंडेट (Care Attendant) की कार्य प्रगति रिपोर्ट पीईईओ/प्रधानाचार्य/संस्थाप्रधान से प्रतिमाह प्राप्त करना तथा समय–समय पर जिले के अधिकारियों को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाना।
- ✓ सीबीईओ द्वारा केयर अटेंडेट (Care Attendant) का मासिक मानदेय प्रतिमाह दिये जाने की मॉनिटरिंग की जायेगी।

- ➤ **उक्त आदेश का प्रकार पूर्णतया अस्थाई आधार पर मात्र 10 माह हेतु रहेगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर केयर अटेंडेट (Care Attendant) का कार्य स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।**
- ➤ केयर अटेंडेट (Care Attendant) के संबंध में पीईईओ/यूसीईईओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी का निर्णय सर्वोपरि मान्य होगा।

**(अनुपमा जोरवाल)**
**राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त**

**क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2025–26/**Care Attendant/ **दिनांक : यथा हस्ताक्षर**

**प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान एवं शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

**राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त**

Document certified by Anupama Jorwal <anupamajorwal@gmail.com>.

Digitally Signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date :25-06-2025 09:56:31



RajKaj Ref No.: 16125643